न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—492/2016/223 (2016/00492)

1. शंकर पुत्र केलाराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी गांव बाडी, तह0 बिजयनगर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. देवीलाल पुत्र कुन्दनमल ब्राहम्ण,
2. मोहनलाल पुत्र कुन्दनमल ब्राहमण,
   निवासी गांव बाडी, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक नायब तहसीलदार, बिजयनगर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक तहसीलदार, मसूदा ।

रेस्पोडेंटस

5. गोकल पुत्र केलाराम ब्राहम्ण, निवासी गांव बाडी, तह0 बिजयनगर, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, दिनांक 13.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 60/2011.

उपस्थितः—

1. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील अपीलांट ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 5.
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः— 04.01.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 5 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 पेश कर निवेदन किया कि मौजा बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी साबिक खसरा नंबर 85 रकबा 7—3—00 बीघा जिसके हाल खसरा नंबर 105, 106, 107, 109, 110 व 111 बने है । साबिक खसरा नंबर 85 के खातेदार श्री गंगाराम पुत्र मेघा ब्राहमण थे, उन्होंने इसे दिनांक 18.4.1966 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वादीगण को विक्रय कर दी थी जिसका अमल वादीगण के नाम ग्राम बरल द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 में हो चुका था । क्रय दिवस से इस आराजी पर कब्जे उपभोग में वादीगण ही चले आ रहे है लेकिन भू—संशोधन के बाद कायम हुई जमाबंदी में साबिक खसरा नंबर 85 से बने हाल खसरा नंबर 106, 109, 110 व 111 तो वादीगण की खातेदारी

में लगा दिये गये और खसरा नंबर 105 सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम लगा दिया गया । इसी प्रकार खसरा नंबर 107 गैर मुमकिन चाह में वादीगण के साथ प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम लगा दिया गया है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से त्रुटि सुधारने हेतु निवेदन करने पर उन्होंने मना कर दिया है । अतः वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वर्तमान खसरा नंबर 105 में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खसरा नंबर 107 गै0मु0 चाह से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम हटाकर वादीगण को तन्हा रूप से खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम पेश किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.2016 द्वारा वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्यायालय के समक्ष वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.4.2015 को पेश किया था जिस पर वादी संख्या 1 ने एवं उसके अधिवक्ता ने आपत्ति की थी एवं ऐतराज पेश करने बाबत् अवसर चाहा था । वादी संख्या 1 की ओर से नियुक्तशुदा अधिवक्ता श्री पंकज गदिया ही रहे एवं उसके अधिवक्ता पुखराज कलवार नहीं रहे जिसकी जानकारी अधी0न्याया0 को थी । दिनांक 13.6.2016 को श्री पुखराज कलवार, अधिवक्ता की उपस्थिति नहीं थे एवं वादी शंकरलाल के हस्ताक्षर कैम्प कोर्ट में उसकी उपस्थिति बाबत् खाली प्रोसिडिंग पर करवाये गये थे एवं तत्समय प्रोसिडिंग लिखी ही नहीं गई थी जो कि हस्ताक्षरों के अवलोकन से स्पष्ट है । किन्तु अधी0न्याया0 ने बिना आवेदन पत्र आदेश 8 नियम 6–ए जा0दी0 तय किये मनमाने रूप से केवल मात्र कैम्पों में मुकदमे तय करने की संख्या बढ़ाने की गरज से निर्णित कर दिया जो कि अपास्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 में प्रतिवादी की साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 जा0दी0 दिनांक 26.2.2014 को पेश कर दिया था किन्तु वादी को जिरह का अवसर ही नहीं दिया गया । अधी0न्याया0 की जानकारी में यह तथ्य आ चुका था कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट सहित वादी संख्या 2 की बहुमूल्य प्रतिफल के बदले जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रयशुदा आराजियात है जिसका अमल दरामद भी जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 में हो चुका था एवं कब्जा भी निरन्तर वादीगण का ही चला आ रहा था लेकिन भू–संशोधन के बाद कायम हुई जमाबंदी में खरीदशुदा भूमि साबिक खसरा नंबर 85 से बने नये खसरा नंबर 106, 109, 110 व 111 तो वादीगण के नाम दर्ज कर दिये गये किन्तु खसरा नंबर 105 बिना किसी न्यायिक आदेश के सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नंबर 107 गै0मु0 चाह में वादीगण के साथ प्रतिवादीगण संख्य 1 व 2 का नाम लगा दिया गया जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई विधिक अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने वादी संख्या 1 को बहस एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नही कर कैम्प में प्रकरण को निर्णित किया है जो विधिविरूद्ध है । कैम्प में केवल मात्र वे ही प्रकरण निर्णित किये जा सकते है जिनमें पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा या समझौता हो गया हो । राजस्व कैम्प में न तो तनकियात कायम की जाती है एवं न ही साक्ष्य ली जाती है एवं न ही बहस सुनी जाती है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध होने से निरस्त

योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को वादी/अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने मूल वाद को कैम्प बरल दोयम मकें बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये निर्णित किया है । अधी0न्याया0 ने राजस्व कैम्प में दिनांक 13.6.2016 को पक्षकारों के मध्य राजीनामा न होने के कारण अपीलांट को दिनांक 10.8.2016 की तारीख पेशी नियत करने की सूचना दी गई एवं अपीलांट के खाली आदेशिका पर करवा लिये गये जिससे अपीलांट इसी विश्वास में रहा कि उसके प्रकरण में तारीख पेशी नियत की गई है तो उसके प्रकरण में भी नियत तारीख को सुनवाई होगी । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.10.2016 को उसके अधिवक्ता से संपर्क किये जाने पर हुई तत्पश्चात् निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपिया प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट/वादी स्वंय उपस्थित था इसके बावजूद उनके द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गई है । विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित नहीं है । अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रकरण में गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि खसरा नंबर 105 कभी भी वादीगण के नाम दर्ज नहीं रहा है बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता कुन्दनमल के नाम दर्ज है उक्त आराजी विरासत से प्रतिवादीगण व उनकी बहनों के नाम आई है । इसी प्रकार खसरा नंबर 107 गे0मु0चाह वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता ने शामलात रूप से खुदवाया था जिसे रामचन्द्र ने सेटलमेंट अधिकारियों को दिनांक 1.8.1982 को प्रार्थना पत्र पेश कर शामलात में रखवाया है जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से गत् 60 वर्षो से उपयोग करते आ रहे है । वादी संख्या 2 ने खसरा नंबर 105 के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के साथ राजीनामा किया है जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । विद्वान अधी0न्याया0 ने वाद में तनकीयात कायम कर विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत विधिसम्मत् रूप से वाद डिक्री किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण शंकर व गोकल द्वारा वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किया गया था । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 4.1.2012 को जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया । तत्पश्चात् दिनांक 13.3.2014 को वादीगण द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 6–ए जा0दी0 व धारा

151 जा0दी0 पेश कर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जवाब पेश करने का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 6–ए जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 को निर्णित किये बिना वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम दिनांक 13.6.2016 को न्याय आपके द्वार कार्यक्रम मुकाम बरल द्वितीय में राजीनामे के आधार पर वाद निरस्त किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली को लोक अदालत कैम्प कोर्ट में दिनांक 12.12.2015 को नियत किया किन्तु उक्त लोक अदालत के नोटिस वादी संख्या 1/अपीलांट शंकर को तामील कराये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है न ही उक्त तामील की पुस्त पर वादी संख्या 1/अपीलांट शंकर के तामीली बाबत् हस्ताक्षर ही है । इससे स्पष्ट है कि पत्रावली को कैम्प कोर्ट में नियत किये जाने की सूचना/तामील अपीलांट को नहीं हो सकी थी जिससे वह अपना पक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष राजीनामा वादी संख्या 2 गोकल पुत्र केलाराम द्वारा प्रस्तुत किया गया था । ऐसी स्थिति में वादी संख्या 1/अपीलांट द्वारा वाद में राजीनामा पेश नहीं किये जाने से वाद राजीनामे के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता था । अधी0न्याया0 को वादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था न कि राजीनामे के आधार पर । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर वाद को राजीनामे के आधार पर निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 6–ए जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 पेश किया गया था जिसे भी अधी0न्याया0 ने निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । इस आधार पर भी अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकार, मसूदा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.6.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/वादी को वाद में साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेरहह